कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, बिहार सेक्टर, आशियाना–दिघा रोड, पोस्ट– आशियाना नगर, पटना (बिहार)

विज्ञापन

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही(चालक) की भर्ती

1. ग्रुप केन्द्र, के0रि0पु0बल, मोकामाघाट, जिला–पटना (बिहार) परिसर में दिनांक 2/08/2010 से अखिल भारतीय स्तर पर केवल पुरूष उम्मीदवारों के लिए सिपाही/चालक पद की निम्नलिखिति रिक्तियों के लिए खुली भर्ती आयोजित की जाएगी ।

सामान्य + भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जाति + भू0पू0 सैनिक	अनुसूचित जनजाति + भू0पू0 सैनिक	अ0पि0व0 + भू0पू0 सैनिक	योग
34 + 04 = 38	18 + 02 = 20	10 + 01 = 11	05 + 01 = 06	75

<u>नोटः–</u>

क) भर्ती केन्द्र पर दिनांक 2/08/2010 तथा 4/8/2010 को 0900 बजे से 1800 बजे तक ही उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन एवं रजिस्ट्रेशन पर्ची जारी किया जायेगा।

ख) प्रशासनिक कारणों के आधार पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या में अन्तर (कम/अधिक) हो सकता है ।

ग) भूतपूर्व सैनिकों (केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पदों में पुर्नरोजगार) के अनुसार यदि योग्य भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों (धन चिन्ह के बाद अलग से दर्शाए गए) को नए अभ्यर्थियों से भरा जाएगा ।

2. उपरोक्त पदो के लिए लागू वेतनमान :– वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20,200/– एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/–

3. <u>अन्य भत्ते</u> :– केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अन्तर्गत समय–समय पर देय अन्य भते ।

4. <u>तैनाती स्थान</u> :– भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर किसी भी क्षेत्र में ।

5. भर्ती हेतु उम्मीदवारों की अधिवासिता के लिए कोई प्रतिबंध नही है ।

6. भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर होगी ।

7. सभी चयनित उम्मीदवारों पर दिनांक 01/01/2004 से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नई अंशदायी पेशन योजना प्रभावी होगी ।

8. इस भर्ती में के0रि0पु0बल कार्मिकों के आश्रित/बच्चे भी शामिल हो सकते है। उनको भी अन्य सामान्य अभ्यार्थियों की तरह से ही परीक्षा देनी होगी। सेवारत कार्मिक/मृत/ अशक्तता के कारण सेवा से बाहर किए गए कार्मिकों के बच्चों/आश्रितों के लिए संबंधित ग्रुप केन्द्र/बटालियन के द्वारा अण्डटेकिंग प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, ताकि कोई के0रि0पु0बल के आश्रितों/बच्चों के नाम पर गलत उम्मीदवार भर्ती न हो सके।

9 <u>भूतपूर्व सैनिकों की पुर्नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्ते :–</u>

भूतपूर्व सैनिक एक प्रशिक्षित सैनिक होने के कारण उनका केवल ट्रेड परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा श्रेणी का पता लगाने के लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा । सरकारी आदेशों के अनुसार निर्धारित शारीरिक स्तर और शिक्षा में पूर्ण छूट है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है । अन्य शर्ते निम्नानुसार है :–

1) भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की थल सेना, जल सेना व वायु सेना के किसी भी पद पर चाहे वह योद्धक या गैर योद्धक हो, के रूप में नियमित सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं हैं जिसने डिफेन्स सुरक्षा कोर , जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेवा तथा अर्ध सैनिक बलों में सेवा की हो एवं

क) ऐसी सेवा से पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत हुए हो।

ख) संस्थानों में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से स्वयं की इच्छा से कार्यमुक्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर, मुक्त हुआ हो।

ग) विनिर्दिष्ट की गई अवधि पूर्ण करने के पश्चात सेवा मुक्त हुआ हो, न कि स्वयं के अनुरोध पर सेवा मुक्ति या उसके दुर्व्यवहार अथवा अयोग्यता के कारण पद्च्युत अथवा सेवा मुक्ति किये जाने पर जिसमें उसे ग्रेच्यूटी प्रदान की गयी हो तथा इसमे प्रादेशिक सेना के निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक भी शामिल होगें:–

1) निरंतर सेवा (इम्बाडिज) के पेशंन प्राप्तकर्ता
2) शौर्य पदक विजेता

2) प्रादेशिक सेना के कार्मिक जो उपयुक्त शर्तें पूरा करते हों उन्हे दिनांक 15.11.86 से भूतपूर्व सैनिक माना जायेगा।

3) वर्ष 1986 की उक्त संशोधित परिभाषा उन कार्मिकों के लिये भी लागू होगी जो 1.7.87 से नौकरी से सेवा मुक्त हुए हैं ।

1.	शिक्षा	:	पूर्ण छूट
2.	शारीरिक मापदण्ड	:	पूर्ण छुट
3.	चिकित्सा श्रेणी	:	शेप–एक
4.	सेवा में व्यवधान	:	24 माह से अधिक न हो।

5. <u>आयु सीमा</u>
भूतपूर्व सैनिकों को आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार दी जाएगी और उन्हें वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और यह घटाई गई आयु निर्धारित सीमा से 3 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।

6. चरित्र : उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा

10. <u>उपयुक्त पदों के लिये पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:–</u>

(क) आयु :– दिनांक 1/8/2010 को 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए ।
आयु की कटऑफ तिथि एक अगस्त, 2010 होगी ।

(1) उपरी आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है :–

अ0जा/अ0ज0जा0	–	5 वर्ष
अन्य पिछड़ा वर्ग	–	3 वर्ष

(2) 1984 के दौरान दंगों में मारे गये व्यक्तियों के बच्चों तथा आश्रितों को भारत सरकार गृह मंत्रालय के दिनांक 02/09/07 के ज्ञापन संख्या <u>आई./45023</u> / 2 / 2007 /कार्मिक–दो के अनुसार उपरोक्त के अतिरिक्त पांच वर्ष तक की छूट । यह छूट प्राप्त करने के लिये उम्मीदवार (अर्थात मारे गये व्यक्ति के बच्चे/परिवार के आश्रित) को संबंधित जिलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ख) <u>शैक्षिक योग्यता :–</u>

1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या 10 वीं पास ।

(ग) <u>तकनीकी योग्यता :–</u>

1. सिपाही/चालक के पद हेतु उम्मीदवारों के पास वैध भारी मोटर परिवहन (एचटीवी) लाईसेन्स होना चाहिए तथा भर्ती के समय उन्हें ड्राईविंग टेस्ट में उत्तीर्ण होना होगा ।

(घ) <u>शारीरिक मापदंड:–</u>

1) उॅचाई– कम से कम 170 से0मी0
2) वजन– चिकित्सा स्तर के अनुसार उॅचाई और आयु के अनुपात में
3) सीना– बिना फुलाए – 80 से0मी0 फुला कर – 85 से0मी0 ।

(च) <u>चिकित्सा मापदंड:–</u>

1. <u>नेत्र दृष्टि :– दूरस्थ दृष्टि :–</u> चश्मों के बिना दोनो आंखों का न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एवं 6/9 बिना किसी त्रुटि के होना चाहिए ।

2. उम्मीदवार को धनुषाकार टांगे, आपस में टकराते घुटने, सपाट तलवे, वेरीकोज वेन, आंखों का भेंगापन, वर्णान्धता दोषों से मुक्त होना चाहिए । वे मानसिक/शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए तथा अन्य शारीरिक दोषों जिससे प्रभावी ढंग से डयूटी करने में बाधा पहुॅचे, से मुक्त होना चाहिए ।

(ड.) <u>छूट :–</u>

(1) उॅचाई :– गढ़वाली, कुमायुॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम उॅचाई 165 से0मी0 होगी । सभी अनुसूचित जनजातियों के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊॅचाई 162.5 से0मी0 होगी ।

(2) सीना :– गढ़वाली, कुमायुॅनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों एवं सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए सीने की बिना फुलाए न्यूनतम चौड़ाई 78 से0मी0 (कम से कम 5 से0मी0 फुलाना) होगा । सभी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीमा 76 से0मी0(कम से कम 5 से0मी0 फुलाना) होगा ।

<u>नोट :–</u> उॅचाई एवं सीने में छूट पाने के लिए के लिये उम्मीदवारों को परिशिष्ठ–तीन के अनुसार निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

11. <u>चयन प्रकिया</u> :–

उपर्युक्त पदों में भर्ती के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नही है । भर्ती रैली सिस्टम के आधार पर होगी । इच्छुक /पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि तथा समय के अनुसार भर्ती बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा । उम्मीदवारों को निम्ननिखित टेस्ट से गुजरना होगा :–

(ए) <u>उचाई बार</u>

भर्ती के शुरूआती चरण में उम्मीदवारों को उचाई बार से गुजरने के लिए कहा जाएगा और उसमें जिनकी उॅचाई कम पाई जाएगी उनको अस्वीकार करने संबंधी स्लिप दी जाएगी तदानुसार उनकों अगली भर्ती प्रकिया में भाग लेने नहीं दिया जाएगा ।

(बी) <u>05 कि0मी0 दौड (क्वालीफाई नेचर)</u>

जो उम्मीदवार उचाई बार प्रकिया में सफल होगें उन्हें 05 कि0मी0 दौड 24 मिनट में पूरी करनी होगी।

<u>नोट</u> :–जो उम्मीदवार 05 कि0मी0 दौड में सफल नहीं होंगे उन्हें अगले चरण के लिए अयोग्य घोषित कर अस्वीकार स्लिप दी जाएगी।

(सी) <u>उम्मीदवारों की पहचान</u>

जो उम्मीदवार 05 कि0मी0 दौड में सफल होगा उसे भर्ती के सभी चरणों के लिए नवीनतम वायोमैट्रिक प्रकिया से गुजरना होगा ताकि कोई धोखाधडी न हो सके। (कम्पयूटर पर आधारित वायोमैट्रिक उपकरण के अभाव में, उम्मीदवार की पहचान के लिए उसके अंगूठे की छाप, डिजीटल फोटाग्राफ और शरीर पर कोई भी विशिष्ट प्रकार के पहचान के चिन्ह का प्रयोग किया जायेगा)

(डी) <u>कागजातों का जॉच</u>

पहचान प्रकिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों के मूल कागजातों/दस्तावेजों की जॉच की जाएगी और केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती प्रकिया के अगले चरण में बैठने के लिए अनुमति दी जाएगी । यदि कोई उम्मीदवार, अपेक्षित <u>कागजातों/प्रमाण</u> पत्रों को उपलब्ध नहीं करा पायेगा तो उसे भर्ती प्रकिया से बाहर कर दिया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को भाग लेने नहीं दिया जाएगा।

(ई) <u>शारीरिक मापतौल</u>

जो उम्मीदवार कागजातों की जॉच पडताल में योग्य पाए जाएगें, उनकी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उॅचाई, सीना और वजन की माप–तौल की जाएगी। जो उम्मीदवार शारीरिक माप–तौल की शर्तो को पूरा करेगा उसे शारीरिक दक्षता टैस्ट में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाएगी और जो उम्मीदवार शारीरिक माप–तौल की शर्तो को पूरा नहीं करेगा उसे भर्ती के अगले चरण में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। उम्मीदवार को कारण दर्शाते हुए अस्वीकार स्लिप दी जाएगी। नाप–तौल से संबंधित किसी भी विवाद को उसी दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा निपटाया जाएगा और इस मामले में उनका निर्णय ही अन्तिम होगा।

(एफ) <u>शीररिक दक्षता टैस्ट</u>

शीररिक दक्षता टैस्ट के लिए निम्नलिखित परिक्षाओं को क्वालीफाई करना होगा :–

(1) 11 फिट लम्बी कूद (03 चांस दिए जाएगें)
(2) 3.5 फिट उॅची कूद (03 चांस दिए जाएगें)

नोटः–

उम्मीदवार को उक्त चरणों को क्वालीफाई करना होगा। उक्त पी0ई0टी0 के किसी भी चरण में असफल हुए उम्मीदवारों को भर्ती की अगली प्रकिया हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उन्हें इस बावत् एक रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी जिसमें उनके असफल होने का कारण इंगित होगा।

(जी) <u>ट्रेड टैस्ट</u>

पी0ई0टी0 टैस्ट में सफल हुए उम्मीदवारों का बोर्ड द्वारा उनसे संबंधित ट्रेड/जॉब दक्षता का टैस्ट लिया जाएगा।

(एच) <u>लिखित परीक्षा (100 अंक)</u>

i) जो उम्मीदवार अपने से संबंधित ट्रेड में दक्ष/कुशल पाया जाएगा वह लिखित परीक्षा में सम्मिलित होगा।

ii) लिखित परीक्षा 01 घंटा 30 मिनट की होगी और इसके 02 भाग होगें तथा अधिकतम 100 अंक है, इनमें से 50 अंक वर्णनात्मक निबंध/पत्र लेखन (100 शब्द हिन्दी में या अंग्रेजी में) और वर्णनात्मक प्रश्न जो सामान्य ज्ञान और पर्यावरण पर आधारित होगें और शेष 50 अंक वस्तुनिष्ट टैस्ट जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित योग्यता एवं रिजनिंग टैस्ट के लिए आवंटित किए गए है।

iii) इस प्रश्न पत्र में सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान, गणित पर आधारित ज्ञान, आकृतियों को परखने व भेद करना और उम्मीदवार के हिन्दी या अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान की परीक्षा से संबंधित प्रश्न होगें । प्रश्नों का उत्तर हिन्दी / अंग्रेजी में दिया जा सकता है ।

iv) उत्तर को केवल वॉल पेन से लिखा / मार्क किया जाएगा।

(आई) <u>चिकित्सा परीक्षण</u>

क) शारीरिक माप–तोल, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने एवं वरीयता सूची में स्थान पाने वाले सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा जिसमें उनकी शारीरिक एवं चिकित्सा की उपयुक्तता की जॉच की जायेगी ।

नोट– प्रत्येक वर्ग में कुल रिक्तियों की संख्या के बराबर एवं पूर्व अनुभव के आधार पर सामान्य प्रत्याशित असफलता (नोरमल एन्टीसिपेटड फेलियरस्) के अनुसार उम्मीदवारों को चिकित्सा जॉच हेतु बुलाया जायेगा। फिर भी यदि शार्टफाल होता है, तो भी दुबारा चिकित्सा जॉच की कार्रवाई नहीं की जायेगी । नही भरी गई रिक्तियॉ शार्टफाल की तरह रहेगी ।

<u>चिकित्सीय परीक्षण के विरूद्ध अपील</u>

ख) चिकित्सीय परीक्षण में ''अस्थायी रूप से अयोग्य'' को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित उम्मीदवार को भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी द्वारा उसे अनफिट घोषित किये जाने के कारणों को पूरे विवरण सहित सूचित किया जायेगा । यदि उम्मीदवार चिकित्सा अधिकारी के निष्कर्ष से सन्तुष्ट नहीं है तो वह पुनः चिकित्सा परीक्षा हेतु 'परिशिष्ट–चार' में दिये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र में अपने फिटनेस के सबूत के साथ एक अपील प्रस्तुत कर सकता है । ऐसे चिकित्सा प्रमाण–पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें चिकित्साधिकारी द्वारा यह नोट न दिया गया हो कि उसे इस बात की पूरी तरह जानकारी है कि उम्मीदवार को पहले ही केरिपुबल के चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्ति हेतु अनफिट घोषित किया जा चुका है । अपील के साथ फीस के रूप में रू0 25/– (रूपये पच्चीस मात्र) के रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर / बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक जो कि अपीलीय प्राधिकारी <u>अर्थात</u>

पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट को देय हो, संलग्न करना होगा । यह अपील, भर्ती बोर्ड के चिकित्साधिकारी के निष्कर्ष को उम्मीदवार को सूचित करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी ।

नोट :— चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष /राय के विरूद्व केवल एक ही अपील की अनुमति है ।

(जे) अंतिम चयन :—

1. प्रत्येक श्रेणी की मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा ।
2- नियुक्ति हेतु अंकों का आहरक प्रतिशत (**Cut of percentage**) निम्नानुसार होगा :—
   क) सामान्य/भूतपूर्व सैनिक — 35 प्रतिशत
   ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़े वर्ग — 33 प्रतिशत
3. इस भर्ती प्रकिया में साक्षात्कार नही होगा ।

12. भर्ती के समय उम्मीदवारों को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करने होंगे :—

1. शैक्षिक योग्यता/जन्म तिथि की पुष्टि के लिये मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र ।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो भी लागू हो परिशिष्ट एक एवं दो में निर्धारित प्रारूप के अनुसार जो कि राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे रैंक का न हो द्वारा जारी होना चाहिए ।
3. तकनीकी/ट्रेड/व्यवसायिक अनुभव संबंधी मूल प्रमाण पत्र ।
4. भूतपूर्व सैनिकों के मामलें मे डिस्चार्ज प्रमाण पत्र ।
5. एन0सी0सी0/स्काउट एवं गाईड/खेलकूद/कम्प्यूटर में निपुणता की अतिरिक्त योग्यता के संबंध में अन्य कोई प्रमाण पत्र यदि कोई हो ।
6. शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए कार्यालय/ विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
7. हाल में खीचें गए पासपोर्ट साईज के चार फोटोग्राफ ।
8. मूल ड्राईविंग लाईसेन्स ।

13. सामान्य शर्तें ।

1. उम्मीदवार अपने खर्च पर परीक्षा/चयन हेतु सम्मिलित होंगे और इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा । उन्हें भर्ती स्थान पर ठहरने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी । भर्ती प्रकिया 6—7 दिन तक चल सकती है । उम्मीदवारों सलाह दी जाती है कि वह पैन व पैंसिल अपने साथ लेकर आंए।
2. परीक्षा/भर्ती/यात्रा के दौरान घायल/चोटिल हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी ।

3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्ति हेतु चयनित उम्मीदवार, केरिपुबल अधिनियम 1949 एवं नियमावली 1955 तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत शासित होंगे ।

4. सभी पद वर्दीधारी (Combatised) हैं और पूर्णतया अस्थायी, परन्तु आगे बने रहने की संभावना है । चयनित उम्मीदवार को भारतवर्ष या भारतवर्ष के बाहर कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

5. भर्ती के लिये कोई याचना करने या बाहरी प्रभाव डालने पर उम्मीदवार भर्ती प्रकिया में सम्मिलित होने से स्वतः अयोग्य हो जाएंगे ।

6- भर्ती हेतु आवेदन पत्र भेजने की आवश्यकता नही है। इच्छुक/पात्र उम्मीदवार निर्धारित तिथि/समय पर भर्ती बोर्ड के समक्ष ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामाघाट के परिसर में उपस्थित होंगे ।

7- भार्ती प्रकिया संबंधी विवरण एवं अन्य संबंधित मामले केरिपुबल की वेबसाइट (डब्लूडब्लूडब्लू.सीआरपीएफ.एनआईसी.इन) पर उपलब्ध है । अधिक जानकारी के लिए सहायता फोन नम्बर 06132-232412 तथा ई–मेल पते diggcmkg@crpf.gov.in. पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है ।

नोटः–

(क) भर्ती प्रकिया में 5 कि0मी0 की दौड को 24 मिनट में पूरा करना होगा । इसके लिए उम्मीदवारों में पर्याप्त शक्ति तथा समर्थ की आवश्यकता है । अतः उम्मीदवारो को हिदायत दी जाती है कि वे भर्ती दोड में आने से पूर्व इसका उचित अभ्यास करें । और उन्हें यह भी बताया जाता है कि इसमें भाग लेने से पूर्व स्वयं को चिकित्सा दृष्टि से परीक्षण करवाये कि वे इस लम्बी दोड को दिये गये समय में पूरा करने के योग्य है । केरिपुबल किसी भी प्रकार की चोट/घटना तथा चिकित्सा समस्या जो इस दोड एवं अन्य भर्ती प्रकिया में होगी, के लिए जबाबदार नही होगी ।

ख) दलालों से सावधान । केरिपुबल में भर्ती के लिए कोई रूपया–पैसा नही लिया जाता है । यदि आपने किसी को रूपया–पैसा दिया है या देने का वादा किया है तो आपने धोखा खाया है तथा आप अपना धन गंवा रहे हैं । यदि कोई व्यक्ति रूपया–पैसा की मांग करता हैं अथवा भर्ती का वादा करता है तो भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी को तत्काल सूचित करें ।

ग) सभी परीक्षाओं तथा चिकित्सा परीक्षण में सफलता प्राप्त कर लेने से नियुक्ति की गारंटी नही है क्योंकि संयुक्त योग्यता कम सूची से श्रेणीवार आवंटित रिक्तियों के अनुसार ही नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाएंगें ।

ह0/– 10/06/2010
(डेरिल डीसेना)
उप महानिरीक्षक(प्रशा)
बिहार सैक्टर, के0रि0पु0बल, पटना

परिशिष्ट–एक

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री............................पुत्र श्री..........................ग्राम/नगर ....जिला/ राज्य/मंडल/संघ राज्य क्षेत्र ....के निवासी............................जाति/जन जाति से संबंधित है जो निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951

(अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (संशोधन) आदेश 1956 द्वारा संशोधित बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन अधिनियम–1971) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976)

संविधान (जम्मू कश्मीर) अनुसूचित जाति ओदश,1956
' संविधान (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1959
' अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित ।
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति ओदश, 1962
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1962
' संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1964
' संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1967
' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति ओदश, 1968
' संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1968
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति ओदश, 1962
' संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1962
' संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1970
' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति ओदश, 1978
' संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति ओदश, 1978
' संविधान जम्मु व कश्मीर (अनुसूचित जनजाति) ओदश, 1989
' संविधान (अनुसूचित जाति) ओदश (संशोधन), अधिनियम, 1990
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) ओदश संशोधन, अधिनियम 1991
' संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय–संशोधन) अधिनियम, 1991

2- यह प्रमाण पत्र .... के द्वारा श्री.................... पुत्र श्री ....ग्राम/नगर.......................... जिला/मंडल..........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र........................ जो कि .... जाति/जन जाति से संबंधित हैं तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .... में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, को जारी किए गए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है ।

3. श्री .... तथा/अथवा उसका परिवार ग्राम/नगर...................... जिला/मंण्डल .... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र............................. में साधारणतः निवास करते हैं ।

स्थान... हस्ताक्षर...............................

दिनांक...
पदनाम.......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।
2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट
3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।
4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

परिशिष्ट–दो

भारत सरकार के अन्तर्गत पदों हेतु नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछडा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(भारत सरकार कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 02/07/1997 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94–स्था0(रेज))

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....पुत्र/पुत्री श्री.............................. ग्राम ....जिला/प्रमण्डल..................राज्य......................समुदाय............................के हैं जो निम्न के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है :–

'1) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, न0 186 दिनांक 13 सितम्बर 1993 में पकाशित संकल्प संख्या 12011/63/93–बी सी.सी(सी) दिनांक 10 सितम्बर 1993.
'2) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0 163 दिनांक 20 अक्टूबर 1994 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/9/94–बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर 1994.
'3) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 88 दिनांक 25 मई 1995 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/7/95–बी.सी.सी. दिनांक 24 मई 1995.
'4) भारतीय राजपत्र एक्सट्रा आर्डिनरी पार्ट–1, सेक्सन–1 न0– 210 दिनांक 11 दिसम्बर 1996 में प्रकाशित संकल्प संख्या 12011/44/96–बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.

श्री..................तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया राज्य के.................... जिला/प्रमण्डल ....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निवास करता हैं । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 स्था0(एस.सी.टी.) दिनांक 08/09/1993 की अनुसची के कालम 3 में वर्णित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है ।

स्थान.. हस्ताक्षर...............................

दिनांक................................

पदनाम.......................................

(कार्यालय मुहर सहित)

टिप्पणी :– यहां साधारणतया निवास करते हैं का अर्थ वही होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची

1) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट/ उप मंडल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट ।
2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट
3) राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार से कम न हो ।
4) उस क्षेत्र के उप मंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार तथा/ या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है ।

परिशिष्ट–तीन

ऊंचाई अथवा सीने के माप में छूट प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थीयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

izekf.kr fd;k tkrk gS fd Jh---------------------------------------iq=

Jh---ftudk lR;kfir QksVks uhps yxk gS]

xkze------------------------rglhy@rkyqdk--

ftyk------------------------------------jkT; ------------------------------dk LFkkbZ fuoklh gSA

सत्यापित फोटो

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री..गढवाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, हिमांचली, लद्दाखी कश्मीरी, सिक्किमी समुदाय (समुदाय का नाम ....) से सम्बन्धित है और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

अथवा

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री.. पूर्वोत्तर राज्यों के अंतर्गत .... राज्य का मूल निवासी है और केन्द्रीय केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती हेतु ऊंचाई और सीने में छूट प्राप्त करने का हकदार है ।

स्थान.................................

दिनांक...............................

जिलाधिकारी /उप जिलाधिकारी/
तहसीलदार के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर सहित)

परिशिष्ट–चार

चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री .... आयु ....वर्ष जो कि .... के उम्मीदवार है, की चिकित्सा जॉच मेरे द्वारा दिनांक .... को .... अस्पताल में की गई ।

2. मुझे, अधोहस्ताक्षरी को इस बात का ज्ञान है कि श्री .... को .... के कारण के0रि0पु0बल में .... के पद हेतु के0रि0पु0बल के चिकित्साधिकारी द्वारा चिकित्सीय अयोग्य घोषित किया गया है । मेरे विचार में इस निर्णय में त्रुटि है ।

3. आवश्यक जॉच एवं परीक्षण के पश्चात, मैं, उसे उक्त पद हेतु चिकित्सीय रूप से योग्य घोषित करता हूँ ।

दिनांक : ....

हस्ताक्षर एवं मुहर
चिकित्साधिकारी का नाम मुहर सहित
पंजीकरण सं0 ....
(एमसीआई / राज्य चिकित्सा परिषद)
पता ....
....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
(चिकित्सक द्वारा प्रमाणित तथा
उसके हस्ताक्षर मुहर सहित)